भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1657

(जिसका उत्तर मंगलवार, 10 दिसम्बर, 2024/19 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

एनएसएस योजनाओं के तहत एजेंटों के लिए कमीशन

1657. **श्री. विवेक के. तन्खा**:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय लघु बचत योजनाओं (एनएसएस) के लिए काम करने वाले लगभग 7 लाख एजेंटों को पेश आ रही कमीशन की समस्या से अवगत है;

(ख) क्या एनएसएस योजनाओं के कमीशन के प्रतिशत में कटौती की गई है, यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डाकघर के अधिकारियों द्वारा ऐसी नई सरकारी योजनाओं को शामिल करने, जिनमें कोई कमीशन देय नहीं है, एजेंटों पर अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियों को वितरित करने के लिए डाले जा रहे अप्रत्यक्ष दबाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या डाकघर की योजनाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण में "एजेंट कोड" का विकल्प है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) सरकार को समय-समय पर विभिन्न हितधारकों से विभिन्न सुझाव प्राप्त होते हैं।

(ख), (ग) और (घ) जी नहीं।
